

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-निसंशि/संस्थापन-2/स्थाना./2019/ 26576-655 दिनांक:- 29.09.2019

:: आदेश ::

निम्नलिखित प्राध्यापक (वरिष्ठ उपाध्याय) का प्रशासनिक/स्वैच्छिक आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	मुकेश कुमार शर्मा	प्राध्यापक (सा.व्याकरण)	रावरिउपासंवि, खोरी, जयपुर	रावरिउपासंवि, रामसिंहपुरा, जयपुर	स्वैच्छिक
2.	कलावती मीणा	प्राध्यापक (हिन्दी)	रावरिउपासंवि, जयचंदपुरा, जयपुर	रावरिउपासंवि, पावटा, जयपुर	स्वैच्छिक
3.	वीरेन्द्र बहादुर सिंह	प्राध्यापक (सा.व्याकरण)	रावरिउपासंवि, बगरू, जयपुर	राजसंशिप्रशिवि, महापुरा, जयपुर	स्वैच्छिक
4.	रमेश कुमार शर्मा	प्राध्यापक (व्याकरण)	रावरिउपासंवि, शाकम्भरी सकराय, सीकर	रावरिउपासंवि, खण्डेला, सीकर	स्वैच्छिक
5.	रमेश चन्द्र मीणा	प्राध्यापक (व्याकरण)	रावरिउपासंवि, हमीरगढ़, भीलवाड़ा	रावरिउपासंवि, खैमावास, दौसा	स्वैच्छिक
6.	निर्मला वैष्णव	प्राध्यापक (हिन्दी)	रावरिउपासंवि, टिपटा, कोटा से रावरिउपासंवि, चेचट स्थानान्तरणाधीन	रावरिउपासंवि, डूंगरजा, कोटा	स्वैच्छिक
7.	दुर्गाप्रसाद शर्मा	प्राध्यापक (व्याकरण)	संभागीय कार्यालय जयपुर (उपनिरीक्षक पद पर कार्यरत)	रावरिउपासंवि, चेचट, कोटा	प्रशासनिक
8.	अशोक कुमार शर्मा	प्राध्यापक (अंग्रेजी)	रावरिउपासंवि, रामसिंहपुरा, जयपुर से रावरिउपासंवि, करीरिया, टोंक स्थानान्तरणाधीन	रावरिउपासंवि, बस्सीनागा, जयपुर	स्वैच्छिक
9.	अनिल कुमार शर्मा	प्राध्यापक (सा.व्याकरण)	रावरिउपासंवि, सांथू, जालोर	रावरिउपासंवि, बिलोंची, जयपुर	स्वैच्छिक
10.	मोहन लाल जांगिड़	प्राध्यापक (व्याकरण)	रावरिउपासंवि, सैदपुरा, भरतपुर	रावरिउपासंवि, अमरसर, जयपुर	स्वैच्छिक
11.	कृष्णावतार जांगिड़	प्राध्यापक (व्याकरण)	रावरिउपासंवि, रामदेवरा, जैसलमेर	रावरिउपासंवि, नांगल राजावतान, दौसा	स्वैच्छिक
12.	तगसिंह राजपुरोहित	प्राध्यापक (सा.व्याकरण)	रावरिउपासंवि, शेरगढ़, जोधपुर	रावरिउपासंवि, रामदेवरा, जैसलमेर	प्रशासनिक
13.	मनीष शर्मा	प्राध्यापक (सा.व्याकरण)	संभागीय कार्यालय जोधपुर	रावरिउपासंवि, जूनी मण्डी, जोधपुर	प्रशासनिक
14.	महेन्द्र टाक	प्राध्यापक (हिन्दी)	रावरिउपासंवि, जूनी मण्डी, जोधपुर	संभागीय कार्यालय, जोधपुर	प्रशासनिक
15.	रमणलाल गरासिया	प्राध्यापक (साहित्य)	रावरिउपासंवि, पीठ, डूंगरपुर	रावरिउपासंवि, थोरिया, राजसमन्द	प्रशासनिक

16.	उमाकान्त शर्मा	प्राध्यापक (व्याकरण)	रावरिउपासवि, बसेडी, धौलपुर	रावरिउपासवि, धौलपुर	पारस्परिक
17.	राघवेंद्र पछगईया	प्राध्यापक (व्याकरण)	रावरिउपासवि, धौलपुर	रावरिउपासवि, बसेडी, धौलपुर	पारस्परिक
18.	गिरिराज प्रसाद मीना	प्राध्यापक (राज. विज्ञान)	रावरिउपासवि, तलाबगांव, दौसा	रावरिउपासवि, दौसा	स्वैच्छिक
19.	श्रीमती सीमा गोयल	प्राध्यापक (हिन्दी)	रावरिउपासवि, करौली से रावरिउपासवि, सुकार, सवाई माधोपुर स्थानान्तरणाधीन	रावरिउपासवि, बाडावास, बालाहेडा, दौसा	स्वैच्छिक
20.	राजेश कुमार कोली	प्राध्यापक (अंग्रेजी)	रावरिउपासवि, आजन्दा, बूंदी	रावरिउपासवि, हमीरगढ़, भीलवाडा	स्वैच्छिक
21.	परमानन्द मीणा	प्राध्यापक (व्याकरण)	रावरिउपासवि, इन्द्रा कॉलोनी, बूंदी	रावरिउपासवि, आजन्दा, बूंदी	स्वैच्छिक
22.	नाथूलाल दरिया	प्राध्यापक (साहित्य)	रावरिउपासवि, नारेडा, फागी, जयपुर	रावरिउपासवि, मोरीजा, जयपुर	स्वैच्छिक
23.	लालचन्द्र खैरवा	प्राध्यापक (सा. व्याकरण)	रावरिउपासवि, श्रीमाधोपुर सीकर	रावरिउपासवि, चैचट, कोटा	प्रशासनिक
24.	जगदीश प्रसाद लखेरा	प्राध्यापक (व्याकरण)	रावरिउपासवि, सामोद, जयपुर	रावरिउपासवि, गोलिया, जेतमाल, बाडमेर	प्रशासनिक

नोट :- सूची में जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता व योगकाल देय होगा। स्थानान्तरिक कार्मिकों को आदेश की पालना में तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा। निर्वाचन कार्य में कर्तव्यारूढ कार्मिकों के संबध में कार्यमुक्ति संक्षम स्वीकृति के पश्चात् की जावे।

26576-655  
29.09.2019

(हरजी लाल अटल)  
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी को भेज कर लेख है कि संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यारम्भ करवाते हुए सूचना विभागीय ई-मेल पर तत्काल अपलोड करे।
6. संबंधित संस्था प्रधान को भेज कर लेख है कि आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावे। जिन विद्यालयों में एक ही प्राध्यापक कार्यरत है, वहाँ प्रतिस्थापक के कार्यग्रहण के उपरान्त ही कार्यमुक्ति की जावे।
7. संबंधित कार्मिक।
8. वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. व्यक्तिगत/संरक्षण पंजिका।

21/11  
(डॉ. रामकुमार दाधीच)  
संयुक्त निदेशक  
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर